रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257120 CG-DL-E-12092024-257120

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

No. 527]

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

# संख्या 60/2024- सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 569(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण विनियम), 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -(1) इन विनियमों को आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण विनियम) संशोधन,(2024) कहा जाए।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

5893 GI/2024 (1)

- 2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण विनियम), 2010 में,-
  - (क) विनियम 2 में, उप-विनियम (2)में, खंड(ख) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"(ख) विदेश व्यापार नीति 2023 के अध्याय 4 और निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) योजना में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रतिदायगी, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट (आरओएससीटीएल) योजनाओं के अलावा किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के तहत माल का आयात या निर्यात, और विदेश व्यापार नीति 2009-14 या 2015-20 या 2023 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट समान योजनाएं. जैसा भी मामला हो:"
- (2) विनियम 6 में,-
  - (i) उप-विनियम (1) में, शब्दों "इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद" के बाद, शब्द "सिवाय इसके कि जहां निर्यात शुल्क प्रतिदायगी, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) या राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट (आरओएससीटीएल) योजनाओं के अंतर्गत है," अंतःस्थापित किए जाएगें:
  - (ii) उप-विनियम (3) में,-
    - (क) शब्दों "विदेश व्यापार नीति (2015-20) के परिशिष्ट 3 ग में अधिसूचित माल, भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस) के तहत निर्यात किया जाना है या" का लोप किया जाएगा;
    - (ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां निर्यात शुल्क प्रतिदायगी, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट (आरओएससीटीएल)योजनाओं के अंतर्गत आता है, अधिकृत कूरियर या उसका एजेंट जिसने सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियम 6 या विनियम 13 में विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिपिंग बिल (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और कागज रहित प्रसंस्करण) विनियम, 2019 में संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा में निर्यात के लिए माल की प्रविष्टि करेगा।"

[फा. सं. 455/08/2022-सीमा शुल्क. V]

मेघा बंसल, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 05 मई, 2010 को सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 05 मई, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 440(अ), दिनांक 15 जून, 2023 के तहत अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 15 जून, 2023 के तहत किया गया था।

### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2024

### No. 60/2024-Customs (N.T.)

- **G.S.R. 569(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely:-
- **1. Short title and commencement. (1)** These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, -
  - (a) in regulation 2, in sub-regulation (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -
    - "(b) import or export of goods under any export promotion scheme other than Duty Drawback, Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) and Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) schemes referred to in Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2023 and Export Oriented Unit (EOU) scheme, and similar schemes referred to in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2009-14 or 2015-20 or 2023, as the case may be;";
- (b) in regulation 6,-
  - (i) in sub-regulation (1), after the words "Notwithstanding anything contained in these regulations,", the words "except where the export is under Duty Drawback, Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) or Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) schemes," shall be inserted:
  - (ii) in sub-regulation (3),-
    - (A) the words "goods notified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015-20), to be exported under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) or" shall be omitted;
    - (B) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that where the export is under Duty Drawback, Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) or Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) schemes, the Authorised Courier or his agent, who has passed the examination referred to in regulation 6 or regulation 13 of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018, shall make entry of goods for export in the electronic integrated declaration referred to in the Shipping Bill (Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing) Regulations, 2019."

[F. No. 455/08/2022-Cus.V]

MEGHA BANSAL, Under Secy.

**Note:** - The principal notification No. 36/2010-Customs (N.T.), dated the 5th May, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 385(E), dated the 5th May, 2010 and was last amended vide notification No. 43/2023-Customs (N.T.), dated the 15th June, 2023 vide number G.S.R. 440(E), dated the 15th June, 2023.